मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in
CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2018-19/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

M/s Nestor pharmaceuticals 11, Western Extension Area, Faridabad-121001 की निविदा क्रमांक F.02(229)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/898 दिनांक 31.07.2017 के तहत औषधि Paracetamol Tablet IP 500mg [28]की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 2742 दिनांक 23/01/2018 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशो की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 19 बैच को Dissolution Test में अमानक कोटि की घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त बैच में से 16 बैच को Dissolution Test में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये ? दिनांक 25/07/2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। समिति ने निर्णय दिया कि प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः रखा जाए।

Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से 14 बैच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति कि बैठक दिनांक 18.12.2018 को समिति के समक्ष रखा गया । Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur ने भी औषधि के 14 बैच को अमानक कोटि का घोषित किया है । फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly Substandard की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन–दिशा निर्देशो (Guidelines for Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Nestor pharmaceuticals 11, Western Extension Area, Faridabad-121001 की औषधि Paracetamol Tablet IP 500mg [28] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

।।सर्वे सन्तु निरामया:।।
(Government of Rajasthan undertaking)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2018-19/1632 दिनांक :22-01-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर ,राजस्थान ।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा।
4. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. जयपुर ,राजस्थान।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हरियाणा।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/ मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Nestor pharmaceuticals 11, Western Extension Area, Faridabad-121001
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)

upto 21.01.2021